



# Meticulous Investigation & Prosecution

## BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में दुष्कर्म व दुष्कर्म के प्रयास की घटना करने के आरोपी रोहित, दीपक व मारपीट की घटना करने के आरोपी लोकेश, दयानन्द, गौतम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ क्रमशः 10 वर्ष, 03 वर्ष व 6-6 माह का कारावास व 28 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त 1-रोहित पुत्र दिनेश, 2-दीपक, 3-लोकेश पुत्रगण गौतम, 4-दयानन्द पुत्र दिनेश व 5-गौतम पुत्र पूर्ण सिंह निवासी ग्राम गलहैता थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म, दुष्कर्म के प्रयास व मारपीट करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु030स0 179/19 धारा 323/354/376डी/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एकट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत वे निर्वेशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 17.12.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रोहित को दुष्कर्म में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड, अभियुक्त दीपक को दुष्कर्म के प्रयास में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्तों गौतम, लोकेश व दयानन्द को मारपीट में 06-06 माह के कारावास व 1-1 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

X @baghpatpolice

Instagram baghpatpolice



Baghpat Police



नरेश वेर्मा  
एडीजीसी



हैमंत देवीदास  
कोर्ट पैराकार





प्रेस नोट

थाना खेकडा दिनांक 17.12.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,  
जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर  
बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की  
रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत  
थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान  
एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है,  
जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर  
मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ  
है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदी के  
सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0स0  
448/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक  
विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमीर पुत्र हनीफ निवासी ग्राम सांकरोद थाना खेकडा जनपद बागपत ।

### बरामदी का विवरण

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

### गिरफ्तारी टीम-

- श्री कुलजीत सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- मिथुन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- विजय सैनी थाना खेकडा जनपद बागपत ।